राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 33/97
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 29, गुरुवार, शाके 1921— अक्टूबर 21, 1999
Asvina 29, Thursday, *Saka* 1921 — *October 21*, 1999

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचाएं।

वित्त विभाग

(व्यय–3 अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर अक्टूबर 21, 1999

एस. ओ. 234:- राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उपधारा (2), धारा 5 की उपधारा (1), धारा 6, धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित रूप से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

(1) धारा 4 की उपधारा (2) के प्रति निर्देश से, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार से मिलकर बना प्राधिकारी किसी भी लोक सेवा में आवश्यक अस्थाई नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा;

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के प्रति निर्देश से, प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार किसी लोक सेवा से संबंधित किसी भी कार्यालय या स्थापन में पद सृजित करने के लिए मंजूरी या अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा;

(3) धारा 6 के प्रति निर्देश से, प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, अधिनियम की धारा 3 के अधीन वर्णित स्थापनों या कार्यालयों के किसी भी कर्मचारी या निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट

सदस्य, अध्यक्ष या किसी भी पदधारी आदि के संबंध में वेतन, भत्तों, परिलब्धियों, मानद्रेय, प्रतिकारात्मक भत्तों आदि के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा;

(4) धारा 14 की उपधारा (2) के प्रति निर्देश से, सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होगा, अर्थात्:-

(i) किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी/पदधारी द्वारा किये गये अपराध की दशा में, विभागाध्यक्ष;

(ii) विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये अपराध की दशा में संबंधित प्रशासनिक विभाग का शासन उप सचिव;

(iii) शासन सचिवालय में पदस्थापित अधिकारी/पदधारी द्वारा किये गये अपराध की दशा में कार्मिक विभाग का संबंधित शासन उप सचिव;

(iv) किसी स्थानीय प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्णत: स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनी या उपक्रम, राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय सहित, किसी निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य निकाय या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से या तो पूर्णत: या भागत: निधियाँ प्राप्त कर रही किसी सोसाइटी या किसी भी शैक्षिक संस्था, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं किंतु जो राज्य से सहायता प्राप्त कर रही हो, के किसी अधिकारी/पदधारी (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी प्रमुख से भिन्न) द्वारा किये गये अपराध की दशा में संबंधित निकाय का मुख्य कार्यकारी;

(v) सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की दशा में जो किसी स्थानीय प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्णत: स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनी या उपक्रम, राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय सहित, किसी निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य निकाय या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से या तो पूर्णत: या भागत: निधियाँ प्राप्त कर रही किसी भी सोसाइटी या किसी भी शैक्षिक संस्था, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं किंतु राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हो, के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, या यथास्थिति मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त है, संबंधित प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव;

(vi) खंड (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के किसी अधिकारी द्वारा किये गये अपराध की दशा में, कार्मिक विभाग का शासन सचिव;

(vii) स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी कम्पनियों आदि या सरकार से सहायता प्राप्त कर रही किसी भी संस्था के निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों/अध्यक्ष आदि के लिए, संबंधित प्रशासनिक विभाग का शासन उप सचिव;

ऊपर यथावर्णित सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करेगा ।

(5) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रति निर्देश से, वह प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा जिसे किसी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य या अध्यक्ष को हटाने के लिए संबंधित उपविधियों, अधिनियम या विनियम के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है;

(6) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रति निर्देश से, लोक सेवा पर लागू अनुशासनिक नियमों के अधीन यथा परिभाषित अनुशासनात्मक अधिकारी किसी भी अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा;

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष से, राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 से संलग्न अनुसूची ''क'' में यथावर्णित विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार के किसी आदेश द्वारा उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित कोई प्राधिकारी आता है ।

[संख्या:एफ. 1(3) एफडी/व्यय–III/99]

राज्यपाल के आदेश से,
टी. श्रीनिवासन,
वित्त सचिव ।

FINANCE DEPARTMENT
(EXPENDITURE III DIVISION)
NOTIFICATION

Jaipur, October 21,1999

S. O. 234.— In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 2 read with sub-section (2) of section 4, sub section (1) of section 5, section 6, sub-section (2) of section 14 and clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 15 of the Rajasthan (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalisation of Staff) Act, 1999 (Act No. 6 of 1999), the State Government hereby specifies the Competent Authorities for the purposes of the said Act, as under, namely,—

(1) with reference to sub-section (2) of section 4, the authority consisting of the Principal Secretary1 Secretary, Finance Department and the Principal Secretary/Secretary, Department of Personnel, Government of Rajasthan shall be the competent authority to give prior permission for making urgent temporary appointments in any public service;

(2) with reference to sub-section (1) of section 5, the Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Government of Rajasthan shall be the competent authority to accord sanction or permission for creation of post in any office or establishment relating to a public service;

(3) with reference to section 6, the Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Government of Rajasthan shall be the competent authority for according approval for revision of pay, allowances, perquisites, honorarium, compensatory allowances etc. in respect of any employee or elelcted or nominated member, chairperson or any offfice bearer etc. of the establishments or offices mentioned under section 3 of the Act;

(4) with reference to sub-section (2) of section 14, for purposes of filing complaint in competent court, the following shall be competent authority, namely:—

(i) in case of offence committed by an officer1 official of any Government Department, the concerned Head of Department;

(ii) in case of offence committed by the Head of Department, the Dy. Secretary to Government of the concerned Administrative Department;

(iii) in case of offence committed by officer/ official posted in Government Secretariat, the concerned Dy. Secretary to Government Department of Personnel;

(iv) in case of offence committed by an officer1 official (other than the Chairman/Managing Director or the Chief Executive Head) of a local authority, a Government company or undertaking wholly owned or controlled by the State Government, a body established under any law made by the Legislature of the State whether incorporated or not including University and other bodies established by the State Government or a society registered under any law relating to the registration of societies for the time being in force and receiving funds from the State Government either fully or partly for its maintenance, or any educational institution whether registered or not but receiving aid from the State 'Government, the Chief Executive of the concerned body;

(v) in case of offence committed by any officer of the government who is appointed as the Chairman/Managing Director or the Chief Executive Head as the case may be, of a

local authority, a Government company or undertaking wholly owned or controlled by the State Government, a body established under any law made by the Legislature of the State whether incorporated or not, including University and other bodies established by the State Government or a society registered under any law relating to the registration of societies for the time being in force and receiving funds from the State Government either fully or partly for its maintenance, or any educational institution whether registered or not but receiving aid from the State Government, the Secretary to the Government of concerned Administrative Department;

(vi) notwithstanding anything contained in clause (i), (ii), (iii), (iv) and (v), in case of offence committed by an IAS/IPS/IFS Officer, the Secretary to Government, Department of Personnel;

(vii) for elected or nominated members/chairperson etc. of local authorities, Government Companies etc. or any institution receiving aid from the Government, the Dy. Secretary to Government of concerned Administrative Department;

The competent authorities as mentioned above, shall file complaint before the Court with the previous sanction of the State Government.

(5) with reference to clause (a) of sub-section (1) of section 15, the authority to whom the powers have been delegated for the removal of an elected or nominated member or chairperson under the concerned bye-laws, Act or regulation, shall be the Competent Authority;

(6) with reference to clause (b) of sub-section (1) of Section 15, the disciplinary authority as defined under disciplinary rules applicable in the public ssrvice shall be competent authority for initiating action against any officer or functionary or other authority ;

Explanation.— For the purpose of this Notification Head of the Department means, Head of the Department as mentioned in Schedule "A" appended to Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 and also include an Authority declared as Head of the Department for the purpose of the said rules by an order of the Government.

[No. F. 1 (3) FD/Exp-III/99]

By Order of the Governor,

टी. श्रीनिवासन,

Finance Secretary.

Government Central Press, Jaipur.